स्वास्थ्य संपलक्य होने-प्रत्यर्थी विधि ...

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक – 2018/अपील – 5285/2018/शिवपुरी/भू.रा.

दिनांक 28.8.18 को श्री अरशद अली अभि० द्वारा प्रस्तुत / Fee 28.8.18 पं०दि० 6-9-18

A.R. अरशद अली 28.8.18

मोतीलाल पुत्र लक्खू खंगार निवासी सेमरा कृषक सेमरा, जरगवाअव्वल परकुंआ, तहसील करैरा जिला शिवपुरी म.प्र.

.... अपीलांट

बनाम

1. मु. कुस्सी बेवा मुलायमसिंह खंगार सेमरा
2. भूरा पुत्र मुलायमसिंह खंगार
3. सुमन पुत्री मुलायम सिंह खंगार, निवासी ग्राम सेमरा तहसील करैरा, जिला शिवपुरी

...........रेस्पोडेन्टगण

द्वितीय अपील आदेश न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी परगना करैरा जिला शिवपुरी म.प्र. के प्र.क्र. 335/अपील/2015–16 व उन्वान मोतीलाल बना मु. कुस्सी व अन्य में पारित आदेश दिनांक 31.07.2018 के विरुद्ध द्वितीय अपील माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की जा रही है।

श्रीमान् महोदय,

सेवा में अपीलांट की ओर से उक्त अपील रिस्पोन्डेन्टगणों के विरुद्ध प्रस्तुत की जा रही है :–

प्रकरण के तथ्य

1. यहकि अपीलांट मोतीलाल पुत्र लक्खू खंगार निवासी ग्राम सेमरा कृषक ग्राम जरगवां अव्वल, परकुआं तहसील करैरा के द्वारा न्यायालय नायब तहसीलदार वृत्त–2 दिनारा के प्रकरण क्रमांक 41/अ–6/2015–16 में पारित आदेश दिनांक 29.08.2016 के विरुद्ध एम.पी.एल.आर.सी. की धारा 44 के तहत अपील पेश की है। अपील में उल्लेख किया है कि अपीलांट मुतिया उर्फ मोतीलाल खंगार के साथ मेरे (मुलाम उर्फमुलायमसिंह) की सामलाती आराजी ग्राम सेमरा में स्थित कुल किता 8 कुल रकबा 0.93 है. में अपीलांट हिस्सा 1/8 का भूमिस्वामी है तथा मेरा भाई मुलाम 1/8 का भूमि स्वामी था तथा ग्राम जरगवा अव्वल में स्थित

न्यायालय राजस्व मण्डल, म0 प्र0,ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक- अपील/5285/2018/शिवपुरी/भू.रा.

मोतीलाल विरुद्ध मु. कुस्सी आदि

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
03/6/19	प्रकरण आज लिया गया। आवेदक द्वारा यह अपील अनुविभागीय अधिकारी , जिला शिवपुरी के प्रकरण क्रमांक- 335/अपील/2015-16 में पारित आदेश दिनांक 31/07/2018 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। दिनांक 6/09/2018 को पूर्व पीठासीन अधिकारी द्वारा उक्त अपील प्रकरण को निगरानी मानकर सुनवाई हेतु ग्राहय की जाती है। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 25-9-2018 को हुए नवीन संशोधन के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत यह निगरानी सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर जिला शिवपुरी के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। 2/ पक्षकार दिनांक 23/7/19 को कलेक्टर जिला शिवपुरी के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों। 03/6/19 (आर0के0 जैन) सदस्य	